न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 47 / 2024

अपीलार्थी–	***बनाम***	उत्तरदाता–
डालुराम पुत्र मानाराम उचित मूल्य दुकानदार मालपुरा ग्राम पंचायत मालपुरा तहसील गुड़ामालानी		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.2024 जो जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री हितेश गोयल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.02.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा दिनांक 25.07.2024 को अपीलार्थी डालूराम पुत्र मानाराम उचित मूल्य दुकानदार मालपुरा, एफपीएस कोड 282 का निरीक्षण किये जाने पर प्रथम दृष्ट्या गम्भीर अनियमितताएं पाई गई। इस पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं [illegible] तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किये जाने का अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:14 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 01.08.2024 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 18.09.2024 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी की अपील मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्ष 1993 से उचित मूल्य दुकानदार मालपुरा का संचालन नियमित रूप से कर रहा हैं। वक्त निरीक्षण मौके पर किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी तथा समस्त रेकर्ड अपीलार्थी के पास उपलब्ध था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों की जांच एवं स्टॉक का मिलान करने पर पूर्ण दस्तावेज एवं स्टॉक पाया गया। इसके बावजूद राजनैतिक दुर्भावना से विभागीय प्रकरण दर्ज कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया। इस आदेश के जारी करने में कानूनन एवं इंसाफन भारी न्याय की भूल की हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध आक्षेप लगाया गया हैं कि दुकान का नक्शा पेश नहीं किया है, जबकि उक्त दुकान वर्ष 1993 से संचालित हैं तथा समय–समय पर एवं निरंतर जांच अधिकारियों को पेश किया गया हैं। इसके अलावा आरोप लगाया हैं कि पहचान पोर्टल से प्राप्त डाटा अनुसार मृत्यु उपरांत भी चालू माह व लगातार राशन सामग्री का वितरण कार्य किया जा रहा था जो कि सरासर झूठा एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित हैं। जांच अधिकारी द्वारा राजनैतिक प्रभाव में किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये मात्र काल्पनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं जबकि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त की अवहेलना नहीं की गई हैं। अतः अपीलार्थी की अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:14 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश प्रदान करें।

5. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित। जवाब में प्रकट किया कि प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा दिनांक 25.07.2024 को वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान में गम्भीर अनियमितताऐं पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बित कर विभागीय जांच आरम्भ की गई। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है तथा विभागीय जांच कार्यवाही में अपना पक्ष प्रस्तुत कर समुचित चाराजोही कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

6. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं विभागीय पैरोकार द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रकट किया गया हैं कि अपीलार्थी वर्ष 1993 से उचित मूल्य दुकानदार मालपुरा का संचालन नियमित रूप से कर रहा हैं। वक्त निरीक्षण मौके पर किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी तथा समस्त रेकर्ड अपीलार्थी के पास उपलब्ध था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों की जांच एवं स्टॉक का मिलान करने पर पूर्ण दस्तावेज एवं स्टॉक पाया गया। इसके बावजूद राजनैतिक दुर्भावना से विभागीय प्रकरण दर्ज कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया। विभागीय पैरोकार द्वारा प्रकट किया कि वक्त निरीक्षण अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान में गम्भीर अनियमितताऐं पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बित कर विभागीय जांच आरम्भ की गई। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है तथा विभागीय जांच कार्यवाही में अपना पक्ष प्रस्तुत कर समुचित चाराजोही कर सकता है। इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:14 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर

अपीलाधीन आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए जांच कार्यवाही आरम्भ की गई। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उक्त आदेश अपीलार्थी को नोटिस एवं पक्ष प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जारी किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर आदेश पारित करने मे शीघ्रता की गई है। ऐसे में अपीलाधीन कार्यवाही एवं निलम्बन आदेश एकपक्षीय होने से बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 110/2024 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:14 IST
Reason: SelfAttested